<u>**2017 का विधेयक सं.35**</u>

राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2016 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 7), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 का विद्‌यमान खण्ड (ज) हटाया जायेगा।

3. 2016 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) खण्ड (ग) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "। पुनर्संरचित त्वरित विद्‌युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कस्बों में दो वर्ष के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफोर्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा" हटायी जायेगी;

(ख) तृतीय परन्तुक में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "प्रगति रिपोर्ट" के पश्चात् और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण" से पूर्व, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार," अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्‌यमान खण्ड (छ) हटाया जायेगा।

4. 2016 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) पार्श्व शीर्षक के पश्चात् आयी विद्यमान संख्या "(1)" हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

5. 2016 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 हटायी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

धारा 4, ट्रांसफोर्मर स्तर पर ऊर्जा वितरण के लेखों के लिए उपबंध करती है। इस आवश्यकता को उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अधीन पुनरीक्षित किया गया है। इसलिए, धारा 4 के खण्ड (ग) में संशोधन करके इस आवश्यकता को हटाया जाना प्रस्तावित है। धारा 4 के खण्ड (छ) के तहत् उपबंधितानुसार स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर स्थापित करने संबंधी समरूप उपबंध विद्युत अधिनियम, 2003 में हैं। तदनुसार, धारा 4 का खण्ड (छ) हटाया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन वित्त पोषण साधन गठित करने का प्रयोजन कम लागत पर उधार लेकर निधियां जुटाना था। तथापि, अब यह बात सामने आई है कि ऐसा करना कर-क्षम नहीं होगा। इसलिए, धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 6 से संबंधित उपबंधों को हटाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

पुष्पेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (छ) XX XX XX XX XX

(ज) "वित्तपोषण साधन" से धारा 6 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार यथा गठित राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;

(झ) से (त) XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

4. राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की पोषणीयता के लिए दीर्घ-अवधि योजना.- राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों का उपबंध करने के लिए समुचित अध्युपायों का जिम्मा लेगी, अर्थात्:-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) यह कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं का सारणीकरण और उपभोक्ताओं के प्रत्येक प्रवर्ग की समयबद्ध मिटरिंग के साथ-साथ समस्त 33 किलो वोल्ट फीडर और 11 किलो वोल्ट फीडर की ऊर्जा के लेखों और संपरीक्षा का जिम्मा ले और ऐसा करने में वितरण अनुज्ञप्तिधारी मीटर लगाने की प्रौद्योगिकियों में अद्यतन सुधार पर विचार करे। पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कस्बों में दो वर्ष के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफोर्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा:

परन्तु समस्त उपभोक्ताओं के ऊर्जा लेखों और संपरीक्षा तथा समयबद्ध रूप से मीटर लगाने के संबंध

में रोड-मेप इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर तैयार किया जायेगा और उसका अनुमोदन राज्य आयोग से मांगा जायेगा:

परन्तु यह और कि उपभोक्ता सारणीकरण इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर पूरा किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा लेखों, संपरीक्षा, मीटर लगाने और फीडरवार उपभोक्ता सारणीकरण के संबंध में अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण और राज्य आयोग को प्रस्तुत करेगा;

(घ) से (च) xx xx xx xx xx

(छ) यह कि स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी सरकारी कम्पनी या किसी भी प्राधिकरण या निगम (राज्य पारेषण उपयोगिता से भिन्न) द्वारा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, संचालित किया जाता है और अन्य अध्युपायों का उपबंध किया जाता है जो क्रियात्मक और वित्तीय स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भर एवं पोषणीय राजस्व स्रोत और पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करे:

परन्तु ऐसी कोई सरकारी कंपनी या कोई भी प्राधिकरण या निगम विद्युत अधिनियम की धारा 32 और 33 के अधीन विहित कृत्यों से भिन्न किन्हीं भी कृत्यों में नहीं लगेगा;

(ज) से (झ) xx xx xx xx xx

5. राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वित्तीय पुनर्संरचना योजना.- (1) राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय पुनर्संरचना योजना में परिचालन संबंधी और वित्तीय मानदण्डों का

प्रक्षेपपथ नियत समय सीमा के भीतर-भीतर प्राप्त कर लिया जाये, समुचित अध्युपाय करेगी।

(2) राज्य सरकार, वित्तपोषण साधन के माध्यम से राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगी और,-

(i) वित्तीय पुनर्संरचना योजना में सम्मिलित परिचालन संबंधी और वित्तीय प्रक्षेपपथ; और

(ii) अध्युपाय, जो वित्तीय पुनर्संरचना योजना या किसी भी अन्य वित्तीय पुनर्संरचना स्कीम में विनिर्दिष्ट किये जायें,

प्राप्त करने के लिए मानीटरिंग सुनिश्चित करेगी:

परन्तु ये राजवित्तीय उत्तरदायित्व, बजट बाध्यता, यदि कोई हो, से संगत होंगे।

6. वित्तपोषण साधन का गठन और कृत्य और सरकारी सहायता.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और/या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।

(2) राज्य सरकार, 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की कालावधि हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तपोषण साधन को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगी, अर्थात्:-

(क) राज्य द्वारा संगृहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम;

(ख) विद्युत अधिनियम के अधीन संगृहीत प्रशमनीय प्रभारों के बराबर रकम; और

(ग) ऐसी अन्य रकमें जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर की जायें।

(3) वित्तपोषण साधन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।

(4) राज्य सरकार उप-धारा (3) के अधीन जुटायी गयी निधियों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दे सकेगी।

(5) राज्य सरकार के सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वित्तपोषण साधन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. .35 of 2017

THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2016.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 7 of 2016.- The existing clause (h) of section 2 of the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2016 (Act No. 7 of 2016), hereinafter referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 7 of 2016.- In section 4 of the principal Act,-

(i) in clause (c),-

(a) the existing expression ".Distribution Transformer level energy auditing will be carried out in Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme towns within two years" shall be deleted;

(b) in the third proviso, after the existing expression "submit to" and before the existing expression "the Authority", the expression "the State Government," shall be inserted; and

(ii) the existing clause (g) shall be deleted.

4. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 7 of 2016.- In section 5 of the principal Act,-

(i) the existing number "(1)", appearing after the marginal heading, shall be deleted; and

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted.

5. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2016.- The existing section 6 of the principal Act shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 provides for accounting of energy distribution at transformer level. This requirement has been revised under Ujawal Discom Assurance Yojana (UDAY). Therefore, this requirement is proposed to be removed by amending clause (c) of section 4. There are similar provisions relating to setting up of State Load Despatch Centres in the Electricity Act, 2003 as provided vide clause (g) of section 4. Accordingly, clause (g) of section 4 is proposed to be deleted.

The purpose of constituting a financing vehicle under section 6 of the Act was to raise funds at lower cost of borrowing. However, it has now come to light that this will not be tax efficient. Therefore, provisions related to sub-section (2) of section 5 and section 6 are proposed to be deleted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

पुष्पेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY ACT, 2016
(ACT NO. 7 OF 2016)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) to (g) XX XX XX XX

(h) "financing vehicle" means the Rajasthan Rajya Vidyut Vitaran Vitt Nigam Ltd. as constituted in terms of sub -section (1) of section 6;

(i) to (p) XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

4. Long term Planning for sustainability of State Distribution Licensee.- The State Government shall undertake appropriate measures to provide for the following matters, namely:-

(a) to (b) XX XX XX XX XX

(c) that the State Distribution Licensees undertake energy accounting and auditing of all 33 Kilo Vo lt feeders and 11 Kilo Volt feeders along with consumer indexing and time bound metering of each category of consumers and in doing so the Distribution Licensee considers latest developments in metering technologies. Distribution Transformer level energy auditing will be carried out in Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme towns within two years:

Provided that the road map in relation to energy accounting and auditing and time bound metering of all consumers shall be prepared within six months from the date of coming into force of this Act and approval for the same shall be sought from the State Commission:

Provided further that the consumer indexing shall be completed within one year from the date of coming into force of this Act:

Provided also that the State Distribution Licensees shall submit to the Authority and the State Commission half yearly progress reports with respect to energy accounting, auditing, metering and feeder wise consumer indexing;

(d) to (f) XX XX XX XX

(g) that the State Load Dispatch Centre is operated within one year from the date of coming into force of this Act, by a Government company or any authority or corporation (other than the State Transmission Utility) established or constituted by or under any State Act, as may be notified by the State Government, and provide for other measures which shall ensure functional and financial autonomy and independent and sustainable revenue streams and adequate manpower:

Provided that such a government company or any authority or corporation shall not engage in any functions other than those prescribed under sections 32 and 33 of the Electricity Act;

(h) to (i) XX XX XX XX

5. Financial Restructuring Plan for State Distribution Licensee.- (1) The State Government shall take appropriate measures to ensure that the trajectories of the operational and financial parameters in the financial restructuring plan are achieved within the stipulated time frame.

(2)The State Government shall provide financial support to the State Distribution Licensees through the financing vehicle and shall ensure monitoring for achieving,-

(i) the operational and financial trajectories included in the financial restructuring plan; and

(ii) the measures as may be specified in the financial restructuring plan or any other financial restructuring scheme:

Provided that these fiscal responsibilities shall be consistent with the budgetary constraints, if any.

6. Constitution and functions of the financing vehicle and Government support.- (1) As soon as may be after

commencement of this Act, the State Government shall establish the Rajasthan Rajya Vidyut Vitaran Vitt Nigam Ltd. under the provisions of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) to act as a financing vehicle for the purposes of this Act and to facilitate raising of capital and/or lower cost borrowings for the State Distribution Licensees.

(2) The State Government shall provide following financial support to the financing vehicle for every financial year for a period upto financial year 2021-22 starting from financial year 2015-16 , namely:-

(a) an amount equal to electricity duty collected by the State;

(b) an amount equal to compounding charges collected under the Electricity Act; and

(c) such other amounts as may be granted by the State Government from time to time.

(3) The financing vehicle may raise funds from the market for the purposes of this Act with the approval of the State Government.

(4) The State Government may guarantee the repayment of funds raised under sub-section (3).

(5) Subject to the general or specific directions of the State Government, the financing vehicle shall provide financial support to the state distribution licensees for the purposes of this Act.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं. 35

राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(पुष्पेन्द्र सिंह, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 35 of 2017

THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2016.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Pushpendra Singh, **Minister-Incharge**)